भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3381
01 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को सहायता
3381. श्री राम नाथ ठाकुर:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा फसल मौसम की आवश्यकताओं के अनुरूप जैविक खेती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा के स्थान पर जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है और क्या-क्या योजनाएं आरंभ की गई हैं; और
(ग) क्या यह सच है कि बंजर जमीन पर जैविक खेती करने से उस भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाई जा सकती है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): सरकार वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणन और विपणन तक जैविक किसानों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती हैं जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी फसलोपरांत प्रबंधन सहायता शामिल है।

पीकेवीवाई क्लस्टर मोड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें, किसानों को 3 वर्षों के लिए 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, जैविक खाद, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए डीबीटी के माध्यम से किसानों को 31000 रुपये प्रति हे./ 3 वर्ष प्रदान सीधे किए जाते हैं।

एमओवीसीडीएनईआर को प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें जैविक किसानों को एफपीओ गठन के माध्यम से जैविक उत्पादन से प्रसंस्करण और विपणन आदि तक अपनी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत एफपीओ के गठन, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता, गुणवत्ताप्रद बीज/पौध रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन के लिए 3 वर्षों के लिए 46,575 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता के अनुसार समेकित प्रसंस्करण इकाई, एकीकृत पैकहाउस, शीत श्रृंखला घटक और लघु प्रसंस्करण इकाई जैसी फसलोपरांत अवसंरचना की स्थापना के लिए एफपीओ और निजी उद्यमियों को क्रमश: 75% और 50% की दर से राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

सरकार कृषि अपशिष्ट और पशुओं के गोबर के उपयोग द्वारा पारंपरिक/प्राकृतिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को भी क्रियान्वित कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर जोर देती है और बायोमास मल्चिंग पर प्रमुख जोर के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग; गाय के गोबर-मूत्र के मिश्रण और अन्य पौधे-आधारित तैयारियों के उपयोग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के अंतर्गत, क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा निरंतर हैंडहोल्डिंग, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, 8 राज्यों में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

सरकार ने 2020-21 से ऐसे बड़े पारंपरिक / डिफ़ॉल्ट क्षेत्र को प्रमाणित करने के लिए बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) या अकार्बनिक रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणन, प्रशिक्षण और अवशिष्ट विश्लेषण के लिए प्रति 3 वर्ष में 2700 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, एलएसी (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (2700 हेक्टेयर क्षेत्र), कार निकोबार और नान-कोरी समूह (14,445 हेक्टेयर क्षेत्र) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (5000 हेक्टेयर क्षेत्र)) के तहत कार्बनिक के रूप में 22145 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र के रूप में प्रमाणित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बजट अनुमान (बी.ई.)**	**निर्मुक्ति (करोड़ रुपये में)**	**निर्मुक्ति (करोड़ रुपये में)**
	पीकेवीवाई योजना		**एमओवीसीडीएनईआर योजना**
2018-19	360.00	329.46	174.78
2019-20	325.00	283.67	103.80
2020-21	500.00	381.05	137.17

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आईसीएआर-भारतीय कृषि पद्धति अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम (आईसीएआर-आईआईएफएसआर) के माध्यम से इस तथ्य पर कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। तथापि, खेती की गई भूमि में जैविक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम के माध्यम से किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जैविक खेती के माध्यम से मृदा जैविक कार्बन में सुधार किया जा सकता है।

****